न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–159/2000

CIS NO. TS-159/2000

बिन्दा प्रसाद..वादी

बनाम

बिनोद साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
05.08.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.07.2025 अंदर आदेश 18 नियम 17 वो दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 30.07.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु नियत है। दिनांक 10.05.2024 को वादी सं0–04 बिन्दा प्रसाद का परीक्षण पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिपरीक्षण हेतु प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा पुकार कराया गया परन्तु प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए साक्षी सं0–04 बिन्दा प्रसाद को उन्मोचित कर दिया गया। प्रतिवादीगण उपरोक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण कराने हेतु अपने अधिवक्ता को बुलाने गये थे जो किसी अन्य न्यायालय में तर्क प्रस्तुत कर रहे थे इसलिए प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता को उपस्थित होने में विलंब हुआ जिसके कारण साक्षी सं0–04 का प्रतिपरीक्षण नहीं हो पाया। प्रतिवादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जानबुझकर प्रतिपरीक्षण नहीं किया है बल्कि यह संयोगपूर्ण घटना है। लेहाजा प्रतिवादीगण के द्वारा वादी साक्षी सं0–04 का प्रतिपरीक्षण नहीं किया जाएगा तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और वह न्याय पाने से वंचित रह जाएगा। अतः श्रीमान् से	

<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–159/2000</u>

<u>CIS NO. TS-159/2000</u>

बिन्दा प्रसाद...वादी

बनाम

बिनोद साह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 05.08.2025	निवेदन है कि वादी साक्षी सं0–04 बिन्दा प्रसाद का प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल करने का आदेश दिया जाए। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 30.07.2025 को मो0 2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 29.08.2025 वास्ते अग्रिम कार्रवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	